



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222946  
CG-DL-E-04112020-222946

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]  
No. 322]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2020/ कार्तिक 13, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020/KARTIKA 13, 1942

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

**कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन**

सं. 23/05/2020-आरएण्डआर.—1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश संकल्प संख्या सं. 23/05/2020-आरएण्डआर के द्वारा 22 जुलाई, 2020 को भारत का राजपत्र (असाधारण) (भाग-I-खण्ड-I) में प्रकाशित किए गए हैं।

2.0 22 जुलाई, 2020 के उक्त दिशानिर्देशों में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

2.1 "कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश" शीर्षक

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"किसी अन्य स्रोत अथवा भंडारण से परिपूरित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश।"

2.2 बिंदु संख्या 1.1.5 पर पैरा "अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विकास और ऊर्जा की अनिरंतरता, सीमित समय के लिए आपूर्ति और पारेषण अवसंरचना का कम क्षमता में उपयोग होनेके मामले का समाधान निकालने की आवश्यकता, "बंडलिंग" का

मामला प्रस्तुत करता है, जिसमें कि कोयला आधारित तापीय विद्युत को अक्षय ऊर्जा के साथ बंडलकिया जाता है और वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) बिजली प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, तापीय विद्युत का उपयोग अक्षय ऊर्जा को संतुलित करने और डिस्कॉम को चौबीसों घंटों (राउंड द क्लॉक) बिजली प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जिससे वितरण कंपनियों को विद्युत के संतुलन की जरूरत से छुटकारा मिलेगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विकास और ऊर्जा की अनिश्चितता, सीमित समय के लिए आपूर्ति और पारेषण अवसंरचना का कम क्षमता में उपयोग होने के मामले का समाधान निकालने की आवश्यकता, "बंडलिंग" का मामला प्रस्तुत करता है, जिसमें कि किसी अन्य स्रोत अथवा भण्डारण से निश्चित विद्युत को अक्षय ऊर्जा के साथ बंडल किया जाता है और वितरण कंपनी (डिस्कॉम) को चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) बिजली प्रदान की जाती है। दूसरे शब्दों में, तापीय/हाइड्रो अथवा अन्य किसी स्रोत अथवा भण्डारण से निश्चित विद्युत का उपयोग अक्षय ऊर्जा को संतुलित करने और डिस्कॉम को चौबीसों घंटों (राउंड द क्लॉक) बिजली प्रदान करने के लिए किया जा सकता है जिससे वितरण कंपनियों को विद्युत के संतुलन की जरूरत से छुटकारा मिलेगा।"

2.3 बिंदु संख्या 1.1.8 पर पैरा "ये दिशानिर्देश टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित/संतुलित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 63 के तहत जारी किए जा रहे हैं।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"ये दिशानिर्देश टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित/संतुलित, ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 63 के तहत जारी किए जा रहे हैं।"

2.4 बिंदु संख्या 1.2.1 (क) पर पैरा "कोयला आधारित तापीय विद्युत से परिपूरित /संतुलित अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए डिस्कॉम को चौबीसों घंटे (आरटीसी) विद्युत प्रदान करना।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"किसी अन्य स्रोत से निश्चित विद्युत से परिपूरित /संतुलित अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए डिस्कॉम को चौबीसों घंटे (आरटीसी) विद्युत प्रदान करना।"

2.5 बिंदु संख्या 2.1 पर पैरा "दिशानिर्देशों की प्रासंगिकता : ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए आईएसटीएस संबद्ध कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं ('तापीय परियोजनाओं') की विद्युत से परिपूरित/संतुलित आईएसटीएस ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं ('अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं') से 'खरीदार' द्वारा चौबीसों घंटे बिजली की दीर्घावधिक खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"2.1 दिशानिर्देशों की प्रासंगिकता: ये दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के प्रावधानों के तहत, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किसी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित/संतुलित अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं ('अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं') से 'खरीदार' द्वारा चौबीसों घंटे बिजली की दीर्घावधिक खरीद के लिए जारी किए जा रहे हैं।"

2.6 बिंदु संख्या 2.2 (ग) पर पैरा "तापीय विद्युत": (i) इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'तापीय विद्युत' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन प्रणालियों से विद्युत के संदर्भ में होगा। ऐसी उत्पादन प्रणालियों में ऐसे तापीय विद्युत संयंत्र शामिल होंगे, जो बोलियाँ जारी होने से पूर्व ही आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से चालू किए जा चुके हैं अथवा बोलियाँ जारी होने के समय निर्माणाधीन हैं, लेकिन उनके पास ऐसी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जो इन दिशानिर्देशों के तहत चौबीसों घंटे विद्युत की दीर्घावधिक आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ii) घरेलू और आयातित, दोनों कोयले पर आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएँ भाग ले सकती हैं। तथापि, क्या ईंधन के रूप में घरेलू कोयला है या आयातित कोयला है, इसे आरएफएस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना जरूरी है।

(iii) उपरोक्त क्लॉज 2.1.2(ग)(i) में संदर्भित 'अतिरिक्त क्षमता' किसी तापीय विद्युत उत्पादन प्रणाली की वह क्षमता है, जो किसी विद्युत आपूर्ति प्रतिबद्धताओं अथवा विद्युत खरीद करारों से मुक्त है और इन दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा विद्युत में वृद्धि के लिए उपलब्ध है।"

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

" 'किसी अन्य स्रोत से निश्चित विद्युत':

(i) इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'किसी अन्य स्रोत से निश्चित विद्युत' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह अक्षय ऊर्जा के अलावा किसी विद्युत उत्पादन प्रणालियों से विद्युत के संदर्भ में होगा। ऐसी उत्पादन प्रणालियों में ऐसे विद्युत संयंत्र शामिल होंगे, जो बोलियाँ जारी होने से पूर्व ही आंशिक रूप से अथवा पूर्णरूप से चालू किए जा चुके हैं अथवा बोलियाँ जारी होने के समय निर्माणाधीन हैं, लेकिन उनके पास ऐसी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जो इन दिशानिर्देशों के तहत चौबीसों घंटे विद्युत की दीर्घावधिक आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है।

(ii) उपरोक्त क्लॉज 2.1.2(ग)(i) में संदर्भित 'अतिरिक्त क्षमता', किसी विद्युत उत्पादन प्रणाली की वह क्षमता है, जो किसी विद्युत आपूर्ति प्रतिबद्धताओं अथवा विद्युत खरीद करारों से मुक्त है और इन दिशानिर्देशों के तहत प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा विद्युत में वृद्धि के लिए उपलब्ध है।

2.7 बिंदु संख्या 2.2 (घ) पर पैरा" आरटीसी विद्युत उत्पादक (आरटीसी-पीजी):

(i) इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'आरटीसी विद्युत उत्पादक' (आरटीसी-पीजी) अथवा 'उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह चौबीसों घंटे तापीय विद्युत से परिपूरित आरई विद्युत के किसी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।

(ii) उत्पादक आरई विद्युत की आपूर्ति के लिए उत्पादन प्रणाली (याँ) स्थापित करेगा। उत्पादक तापीय उत्पादन प्रणाली(यों) से तापीय विद्युत की आपूर्ति करके आरई विद्युत की परिपूर्ति/संतुलन करेगा।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोलीदाताओं द्वारा तापीय विद्युत की 'अतिरिक्त क्षमता' को अनुबंधित(टाई-अप) किया गया है, बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय ऐसे टाई अप और इस प्रकार से अनुबंधित (टाई-अप) किए गए तापीय विद्युत संयंत्र में तापीय विद्युत की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता का सत्यापन करने योग्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण एक बोर्ड संकल्प के रूप में होगा जो अनुबंध (टाई-अप) के लिए प्रस्तावित किए जा रहे ऐसे तापीय संयंत्र की स्वामी कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा एवं 100 रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होगा, जिसकी विधिवत नोटरी की गई हो। वैकल्पिक रूप से, उत्पादक तापीय संयंत्र(त्रों) के स्वामियों के साथ एक कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम बना सकता है।

(iv) एक तापीय विद्युत उत्पादक एक से अधिक बोलीदाता के साथ एक ही 'अतिरिक्त क्षमता' के लिए अनुबंधित (टाई-अप) नहीं कर सकेगा। जब बोली समाप्त हो गई हो और वह अतिरिक्त तापीय विद्युत क्षमता बोली का हिस्सा नहीं हो, केवल तभी ऐसी तापीय क्षमता को अन्य निविदाओं में भागीदारी के लिए टाई-अप किया जा सकता है। तथापि, एक ही तापीय विद्युत संयंत्र की अनेक अतिरिक्त क्षमताओं को एक ही निविदा में विभिन्न बोलीदाताओं के साथ टाई-अप किया जा सकता है।

(v) इन दिशानिर्देशों के तहत बोलियों में भागीदारी के प्रयोजन से कोई संस्था विभिन्न तापीय विद्युत संयंत्रों की विविध 'अतिरिक्त क्षमताओं' के साथ टाई-अप कर सकती है और एक निविदा विशेष में इसके लिए एक ही बोली प्रस्तुत कर सकती है।

(vi) अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादक और तापीय विद्युत उत्पादक के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था के बावजूद, इन दिशानिर्देशों और इसके तहत पीपीए के तहत सभी उत्पादन संबंधी देनदारियां पीपीए हस्ताक्षरित करने वाली और 'आरटीसी विद्युत उत्पादक' (आरटीसी-पीजी) के रूप मान्य संस्था की होगी।"

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

**"आरटीसी विद्युत उत्पादक (आरटीसी-पीजी):**

- (i) इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'आरटीसी विद्युत उत्पादक' (आरटीसी-पीजी) अथवा 'उत्पादक' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह चौबीसों घंटे किसी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित आरई विद्युत के किसी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में होगा।
- (ii) उत्पादक आरई विद्युत की आपूर्ति के लिए उत्पादन प्रणाली (याँ) स्थापित करेगा। उत्पादक किसी अन्य स्रोत से विद्युत की आपूर्ति करके आरई विद्युत की परिपूरित/संतुलन करेगा लेकिन केवल एक ही गैर-अक्षय ऊर्जा ईंधन स्रोत हो सकता है। किसी अन्य स्रोत से अनुबंध की गई क्षमता का स्रोत एवं मात्रा पीपीए की अवधि के दौरान नहीं बदली जा सकती है।
- (iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोलीदाताओं द्वारा किसी अन्य स्रोत से विद्युत की 'अतिरिक्त क्षमता' को अनुबंधित (टाई-अप) किया गया है, बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय ऐसे टाई अप और इस प्रकार से अनुबंधित (टाई-अप) किए गए किसी अन्य स्रोत से विद्युत संयंत्र में तापीय विद्युत की अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता का सत्यापन करने योग्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाण एक बोर्ड संकल्प के रूप में होगा जो अनुबंध (टाई-अप) के लिए प्रस्तावित किए जा रहे ऐसे संयंत्र की स्वामी कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होगा एवं 100 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर होगा, जिसकी विधिवत नोटरी की गई हो। वैकल्पिक रूप से, उत्पादक विद्युत संयंत्र(त्रों) के स्वामियों के साथ एक कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम बना सकता है।
- (iv) एक विद्युत उत्पादक एक से अधिक बोलीदाता के साथ एक ही 'अतिरिक्त क्षमता' के लिए अनुबंधित (टाई-अप) नहीं कर सकेगा। जब बोली समाप्त हो गई हो और वह अतिरिक्त क्षमता बोली का हिस्सा नहीं हो, केवल तभी ऐसी क्षमता को अन्य निविदाओं में भागीदारी के लिए टाई-अप किया जा सकता है। तथापि, एक ही तापीय विद्युत संयंत्र की अनेक अतिरिक्त क्षमताओं को एक ही निविदा में विभिन्न बोलीदाताओं के साथ टाई-अप किया जा सकता है।
- (v) इन दिशानिर्देशों के तहत बोलियों में भागीदारी के प्रयोजन से कोई संस्था विभिन्न विद्युत संयंत्रों की विविध 'अतिरिक्त क्षमताओं' के साथ टाई-अप कर सकती है और एक निविदा विशेष में इसके लिए एक ही बोली प्रस्तुत कर सकती है।
- (vi) अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादक और किसी अन्य स्रोत के विद्युत उत्पादक के बीच अनुबंधात्मक व्यवस्था के बावजूद, इन दिशानिर्देशों और इसके तहत पीपीए के तहत सभी उत्पादन संबंधी देनदारियां पीपीए हस्ताक्षरित करने वाली और 'आरटीसी विद्युत उत्पादक' (आरटीसी-पीजी) के रूप मान्य संस्था की होगी।
- (vii) कोयला आधारित उत्पादक पीपीए में एक पक्षकार भी होगा, जैसाकि मामला हो, ताकि ऐसे विद्युत संयंत्रों को नीति के तहत घरेलू कोयले की आपूर्ति की जा सके।

2.8 बिंदु संख्या 4.1 पर पैरा "उत्पादक चौबीसों घंटे तापीय विद्युत से परिपूरित आपूर्ति योग्य अक्षय ऊर्जा विद्युत की आपूर्ति करेगा, जिसमें कम से कम 85 प्रतिशत उपलब्धता वार्षिक और साथ ही कम से कम 85 प्रतिशत उपलब्धता पीक घंटों के दौरान भी रहेगी। पीक घंटे 24 घंटों में से चार घंटे होंगे और खरीदार द्वारा बोली दस्तावेजों में पहले से ही इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"उत्पादक चौबीसों घंटे किसी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित आपूर्ति योग्य अक्षय ऊर्जा विद्युत की आपूर्ति करेगा, जिसमें कम से कम 85 प्रतिशत उपलब्धता वार्षिक और साथ ही कम से कम 85 प्रतिशत उपलब्धता पीक घंटों के दौरान भी रहेगी। पीक घंटे प्रासंगिक सीईआरसी विनियम के अनुसार 24 घंटों में से चार घंटे होंगे।"

2.9 बिंदु संख्या 4.2 पर पैरा "उत्पादक को इस तरह से विद्युत प्रदान करने का प्रस्ताव करना होगा कि कम से कम 51 प्रतिशत प्रस्तावित वार्षिक ऊर्जा आरई विद्युत से और शेष तापीय स्रोतों से प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाए।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"उत्पादक को इस तरह से विद्युत प्रदान करने का प्रस्ताव करना होगा कि कम से कम 51 प्रतिशत प्रस्तावित वार्षिक ऊर्जा आरई विद्युत से और शेष ऊर्जा अन्य स्रोत से प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाए।"

2.10 बिंदु संख्या 5.1 पर पैरा "बोलीदाताओं द्वारा तापीय ऊर्जा से परिपूरित अक्षय ऊर्जा के लिए एक सम्मिलित सिंगल टैरिफ ('कम्पोजिट टैरिफ') का उल्लेख किया जाएगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

उद्घृत टैरिफ के चार भाग होंगे- निर्धारित घटक [अक्षय ऊर्जा (निर्धारित), गैर-अक्षय ऊर्जा (निर्धारित)] और परिवर्तनीय घटक [गैर-अक्षय ऊर्जा (ईंधन हेतु वृद्धिकारी) और गैर-अक्षय ऊर्जा (परिवहन हेतु वृद्धिकारी)]। अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा की टैरिफ का निर्धारित घटक पीपीए की अवधि को प्रत्येक वर्ष के उद्घृत किया जाएगा। गैर-अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनीय घटक शुरू होने की निर्धारित तारीख पर उद्घृत किया जाएगा। लेवलीकृत टैरिफ बोलीदाता द्वारा उद्घृत ईंधन के प्रकार के लिए सीईआरसी वृद्धिकारी संसूचकों का उपयोग कर प्राप्त की जाएगी और बोली दस्तावेजों में छूट के धारक का उल्लेख किया जाएगा। बोलीदाता के अक्षय ऊर्जा एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का अनुपात जिसकी आपूर्ति करने का वह इच्छुक है, भी उद्घृत करना होगा। प्रति यूनिट आपूर्ति की भारत औसत लेवलीकृत टैरिफ पीपीए की अवधि के लिए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के अनुपात पर प्राप्त की जाएगी।

2.11 बिंदु संख्या 5.2 पर पैरा "सम्मिलित प्रशुल्क (कम्पोजिट टैरिफ) को डिलीवरी प्वाइंट पर उद्घृत किया जाएगा, जो कि सीटीयू इंटरकनेक्शन प्वाइंट पर होगा। जबकि आरटीसी विद्युत के विभिन्न घटकों जैसे सौर, पवन और तापीय को सीटीयू/इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) के साथ विभिन्न सीटीयू सब-स्टेशनों पर जोड़ा जा सकता है, बेहतर ग्रिड संतुलन के लिए उन्हें समान आरएलडीसी क्षेत्र में ही जोड़ा जाएगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"प्रशुल्क (टैरिफ) को डिलीवरी प्वाइंट पर उद्घृत किया जाएगा, जो कि सीटीयू इंटरकनेक्शन प्वाइंट पर होगा।"

2.12 बिंदु संख्या 5.3 पर पैरा "तापीय विद्युत की लागत कोयले की कीमत, प्रचालन व रखरखाव लागत इत्यादि के साथ भिन्न होती है।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

विलोप किया जाता है।

2.13 बिंदु संख्या 5.4 पर पैरा "इस प्रकार, समग्र ऊर्जा सम्मिश्रण में लागत में ऐसी भिन्नता को समायोजित करने के लिए 25 प्रतिशत कम्पोजिट टैरिफ को सूचीबद्ध (इंडेक्स) किया जाएगा और समय-समय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा यथा अधिसूचित घरेलू कोयले या आयातित कोयले, जैसा भी मामला हो, के इंडेक्स के साथ समायोजित किया जाएगा। इसका खरीदार द्वारा आरएफएस दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"गैर अक्षय ऊर्जा के वृद्धिकारी घटक, ईंधन और परिवहन दोनों के लिए, समय-समय पर भुगतान के प्रयोजन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा यथा अधिसूचित इंडेक्स के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इसका खरीदार द्वारा आरएफएस दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।"

2.14 बिंदु संख्या 5.5 पर पैरा "सूचीबद्ध करने (इंडेक्सेसन) के लिए समायोजन करने के उपरांत, आपूर्ति की गई अक्षय ऊर्जा का भुगतान प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा क्षमता पर आधारित सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ पर किया जाएगा। विद्युत के तापीय घटक के लिए 50 प्रतिशत सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ को तापीय निर्धारित प्रभार टैरिफ माना जाएगा और 50 प्रतिशत सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ को तापीय परिवर्तनीय प्रभार टैरिफ के रूप में माना जाएगा। निर्धारित प्रभार का भुगतान तापीय निर्धारित प्रभार टैरिफ (50 प्रतिशत सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ) पर प्रस्तावित तापीय क्षमता के आधार पर किया जाएगा।"

जबकि परिवर्तनीय प्रभार का भुगतान तापीय परिवर्तनीय प्रभार टैरिफ (50 प्रतिशत सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ) पर आपूर्ति की गई तापीय ऊर्जा के अनुसार किया जाएगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"आपूर्ति की गई अक्षय ऊर्जा का भुगतान सकल बोलीदाता द्वारा यथा उद्घृत उस वर्ष के लिए लागू अक्षय ऊर्जा (निर्धारित) टैरिफ की दर से दिया जाएगा।

गैर-अक्षय ऊर्जा के लिए, टैरिफ ऊर्जा के निर्धारित घटक भुगतान उस वर्ष के लिए लागू बोलीदाता द्वारा उद्घृत गैर-अक्षय ऊर्जा निर्धारित टैरिफ की दर पर गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से मासिक उपलब्ध क्षमता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

गैर-अक्षय ऊर्जा के परिवर्तनीय घटक का भुगतान इस प्रयोजन हेतु सीईआरसी द्वारा अधिसूचित वृद्धिकारी संसूचक के अनुसार समायोजन के बाद उस वर्ष के लिए लागू गैर-अक्षय ऊर्जा परिवर्तनीय घटक (ईंधन हेतु वृद्धिकारी) की गैर-अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनीय घटक (परिवहन हेतु वृद्धिकारी) की दर पर किया जाएगा।

2.15 बिंदु संख्या 6.2 पर पैरा "बोलीदाता खरीदार द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के एक भाग के लिए उद्घृत कर सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा कम से कम 250 मेगावाट होनी चाहिए ताकि किफायतता बनी रहे और आईएसटीएस के साथ जोड़ने की उपयुक्तता पर विचार किया जा सके। चूंकि एक बोलीदाता अपनी अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एक से अधिक तापीय संयंत्र के साथ जुड़ सकता है, इसलिए 250 मेगावाट से भी काफी कम तापीय क्षमताएं उपयोग में लाई जा सकती हैं। बावजूद इसके, भूमि और पारेषण सुविधा की उपलब्धता पर उचित विचार करने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों और आरई पार्कों के बाहर की परियोजनाओं के मामले में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की मात्रा छोटी रखी जा सकती है लेकिन इसका बोली दस्तावेजों में पहले से स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"बोलीदाता खरीदार द्वारा खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के एक भाग के लिए उद्घृत कर सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा कम से कम 250 मेगावाट होनी चाहिए ताकि किफायतता बनी रहे। बावजूद इसके, भूमि और पारेषण सुविधा की उपलब्धता पर उचित विचार करने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष श्रेणी के राज्यों और आरई पार्कों के बाहर की परियोजनाओं के मामले में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जा सकने वाली विद्युत की मात्रा छोटी रखी जा सकती है लेकिन इसका बोली दस्तावेजों में पहले से स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।"

2.16 बिंदु संख्या 6.4 पर पैरा "बोली मापदंड के रूप में टैरिफ: बोली मापदंड बोलीदाता द्वारा उल्लिखित प्रति यूनिट आरटीसी विद्युत की आपूर्ति के लिए कंपोजिट टैरिफ होगा। खरीदार बोलियां आमंत्रित करेगा जिसमें बोलीदाता रु./किलोवाट घण्टे में प्रथम वर्ष के कंपोजिट टैरिफ का उल्लेख करेगा। बोलीदाता का चयन न्यूनतम उल्लिखित "कंपोजिट टैरिफ" के आधार पर होगा। न्यूनतम कंपोजिट टैरिफ (जिसे एल1 टैरिफ कहा गया है) का उल्लेख करने वाले बोलीदाता (जिसे एल1 बोलीदाता कहा गया है) को उसके द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। यदि आवंटित विद्युत की मात्रा करार की जाने वाली विद्युत की कुल मात्रा से कम है, तो शेष पात्र बोलीदाताओं से उनके कंपोजिट टैरिफ का मिलान एल1 टैरिफ से करने के लिए कहा जाएगा। सबसे कम बोली लगाने वाला वह मूल बोलीदाता, जो एल1 टैरिफ से मिलान करने के लिए सहमत हो, उसे शेष मात्रा या उसके द्वारा प्रस्तावित की गई मात्रा, जो भी कम हो, आवंटित की जाएगी। यदि फिर भी कोई मात्रा शेष है, तो अगले मूल न्यूनतम बोलीदाता और आगे इसी क्रम में इसका आवंटन किया जाएगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"बोली मापदंड के रूप में भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ: बोली मूल्यांकन मापदंड प्रति यूनिट आरटीसी विद्युत की आपूर्ति के लिए भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ होगा। खरीदार बोलियां आमंत्रित करेगा जिसमें बोलीदाता रु./किलोवाट घण्टे में

प्रथम वर्ष के भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ का उल्लेख करेगा। उद्घृत टैरिफ के चार भाग होंगे- निर्धारित घटक [अक्षय ऊर्जा (निर्धारित), गैर-अक्षय ऊर्जा (निर्धारित)] और परिवर्तनीय घटक [गैर-अक्षय ऊर्जा (ईंधन हेतु वृद्धिकारी) और गैर-अक्षय ऊर्जा (परिवहन हेतु वृद्धिकारी)]। अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा की टैरिफ का निर्धारित घटक पीपीए की अवधि को प्रत्येक वर्ष के उद्घृत किया जाएगा। गैर-अक्षय ऊर्जा की परिवर्तनीय घटक शुरू होने की निर्धारित तारीख पर उद्घृत किया जाएगा। लेवलीकृत टैरिफ बोलीदाता द्वारा उद्घृत ईंधन के प्रकार के लिए सीईआरसी वृद्धिकारी संसूचकों का उपयोग कर प्राप्त की जाएगी और बोली दस्तावेजों में छूट के धारक का उल्लेख किया जाएगा। बोलीदाता के अक्षय ऊर्जा एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का अनुपात जिसकी आपूर्ति करने का वह इच्छुक है, भी उद्घृत करना होगा। प्रति यूनिट आपूर्ति की भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ पीपीए की अवधि के लिए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों एवं गैर-अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के अनुपात पर प्राप्त की जाएगी।

बोलीदाता का चयन न्यूनतम उद्घृत "भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ" के आधार पर होगा। न्यूनतम भारित औसत लेवलीकृत टैरिफ (जिसे एल1 टैरिफ कहा गया है) का उद्घृत करने वाले बोलीदाता (जिसे एल1 बोलीदाता कहा गया है) को उसके द्वारा प्रस्तावित की गई विद्युत की मात्रा का आवंटन किया जाएगा। यदि आवंटित विद्युत की मात्रा करार की जाने वाली विद्युत की कुल मात्रा से कम है, तो शेष पात्र बोलीदाताओं से उनके टैरिफ का मिलान एल1 टैरिफ से करने के लिए कहा जाएगा। सबसे कम बोली लगाने वाला वह मूल बोलीदाता, जो एल1 टैरिफ से मिलान करने के लिए सहमत हो, उसे शेष मात्रा या उसके द्वारा प्रस्तावित की गई मात्रा, जो भी कम हो, आवंटित की जाएगी। यदि फिर भी कोई मात्रा शेष है, तो अगले मूल न्यूनतम बोलीदाता और आगे इसी क्रम में इसका आवंटन किया जाएगा।"

2.17 बिंदु संख्या 7.2 (क) पर पैरा "खरीदारी विद्युत (मेगावाट) के रूप में होगी। उत्पादक को कम से कम 85% उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जो वार्षिक और पीक घण्टों, दोनों के दौरान होगी। सुबह और/या शाम के दौरान 24 घण्टों में से चार घण्टे पीक घण्टे होंगे जिसका खरीदार द्वारा बोली दस्तावेजों में पहले से स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।"

#### को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"खरीदारी विद्युत (मेगावाट) के रूप में होगी। उत्पादक को कम से कम 85% उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जो वार्षिक और पीक घण्टों, दोनों के दौरान होगी। पीक घण्टे सीईआरसी विनियम के अनुसार आरएलडीसीज द्वारा यथा घोषित प्रासंगिक 24 घण्टों में से चार घण्टे होंगे।"

2.18 बिंदु संख्या 7.2 (ख) पर पैरा "यह उल्लेखनीय है कि अक्षय ऊर्जा (आरई) और तापीय विद्युत का उत्पादन शिड्यूल मिलकर किसी टाइम ब्लॉक में, अनुबंध की गई क्षमता से अधिक नहीं हो सकता। तथापि, अक्षय ऊर्जा विद्युत की परिपूर्ति के लिए विद्युत की आपूर्ति करने वाले तापीय संयंत्रों की क्षमताएं मिलकर अनुबंधित क्षमता से अधिक हो सकती है। अतः, उत्पादक आवेदन कर सकता है और उसे प्रत्येक घटक की परियोजना क्षमता के आधार पर एलटीए की मंजूरी दी जा सकती है।"

#### को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"यह उल्लेखनीय है कि अक्षय ऊर्जा (आरई) और किसी अन्य स्रोत से विद्युत का उत्पादन शिड्यूल मिलकर किसी टाइम ब्लॉक में, अनुबंध की गई क्षमता से अधिक नहीं हो सकता। अतः, उत्पादक तदनुसार दीर्घकालिक पहुंच (एलटीए) के लिए आवेदन कर सकता है।"

2.19 बिंदु संख्या 7.2 (ग) पर पैरा "अक्षय ऊर्जा और तापीय विद्युत उत्पादन प्रणालियों के प्रचालन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक को किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को खरीदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बगैर अनुबंधित क्षमता से अधिक विद्युत की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। उत्पादक उस विद्युत, जो खरीदार (करार क्षमता के भीतर) को प्रस्तावित की गई थी, परंतु खरीदार द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल न की गई थी, की बिक्री,

खरीदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को एक दिन पहले के आधार पर कर सकेगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"अक्षय ऊर्जा और गैर-अक्षय ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के प्रचालन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक को किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को खरीदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र के बगैर अनुबंधित क्षमता से अधिक गैर-अक्षय ऊर्जा संयम से विद्युत की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। उत्पादक उस विद्युत, जो खरीदार (करार क्षमता के भीतर) को प्रस्तावित की गई थी, परंतु खरीदार द्वारा अगले दिन के लिए शिड्यूल न की गई थी, की बिक्री, खरीदार से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना किसी तीसरे पक्ष या विद्युत एक्सचेंज को एक दिन पहले के आधार पर, कर सकेगा।"

2.20 बिंदु संख्या 7.2 (घ) पर पैरा "यदि परियोजना की उपलब्धता वार्षिक आधार पर या ऊपर परिभाषित पीक घंटों के दौरान 85% से कम है, ऐसे कारण से जिसके लिए आरटीसी विद्युत उत्पादक जिम्मेदार है, तो उत्पादक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह खरीदार को उतनी कम उपलब्धता के लिए दंड का भुगतान करे। ऐसे दंड की धनराशि ऊर्जा के मामले में उस कमी की कीमत का 25% (पच्चीस प्रतिशत) होगी, जिसकी वर्ष के दौरान देय अधिकतम सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ के हिसाब से गणना की जाएगी।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"यदि परियोजना की उपलब्धता वार्षिक आधार पर या ऊपर परिभाषित पीक घंटों के दौरान 85% से कम है, ऐसे कारण से जिसके लिए आरटीसी विद्युत उत्पादक जिम्मेदार है, तो उत्पादक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह खरीदार को उतनी कम उपलब्धता के लिए दंड का भुगतान करे। ऐसे दंड की धनराशि ऊर्जा के मामले में उस कमी की कीमत का 400% (चार सौ प्रतिशत) होगी, जिसकी वर्ष के दौरान देय अधिकतम सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ के हिसाब से गणना की जाएगी।"

2.21 बिंदु संख्या 7.2(ड) पर पैरा "साथ ही, उत्पादक एक अनुबंध वर्ष में प्रस्तावित कुल विद्युत की अनिवार्य 51% से कम अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत के प्रस्ताव में किसी कमी के लिए दंड भरने के लिए भी बाध्य होगा, यदि उसके कारणों के लिए उत्पादक स्वयं जिम्मेवार होगा। अक्षय ऊर्जा विद्युत में इस कमी के अनुरूप दंड की गणना की जाएगी जो कमी वाली प्रत्येक इकाई के लिए वर्ष के दौरान देय अधिकतम सूचीबद्ध कंपोजिट टैरिफ का 25% होगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"साथ ही, उत्पादक एक अनुबंध वर्ष में प्रस्तावित कुल विद्युत में आरई स्रोतों से ऊर्जा के अनुपात से कम अक्षय ऊर्जा (आरई) स्रोतों से विद्युत के प्रस्ताव में किसी कमी के लिए दंड भरने के लिए भी बाध्य होगा, यदि उसके कारणों के लिए उत्पादक स्वयं जिम्मेवार होगा। अक्षय ऊर्जा विद्युत में इस कमी के अनुरूप दंड की गणना की जाएगी जो कमी वाली प्रत्येक इकाई के लिए वर्ष के दौरान देय लागू टैरिफ का 400% (चार सौ प्रतिशत) होगा।"

2.22 बिंदु संख्या 7.2 (ज) पर पैरा "अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कुल उत्पादन में "मस्ट रन" का पालन करना होगा और तापीय स्रोतों से उत्पादन में उसके सूचीबद्ध परिवर्तनीय प्रभारों (इंडेक्सड वेरियेबल चार्ज) के आधार पर मेरिट-ऑर्डर ऑफ डिस्पैच का पालन करना होगा।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"अक्षय ऊर्जा स्रोतों से कुल उत्पादन में भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार "मस्ट रन" का पालन करना होगा और किसी अन्य स्रोत से उत्पादन में उसके सूचीबद्ध परिवर्तनीय प्रभारों (इंडेक्सड वेरियेबल चार्ज) के आधार पर मेरिट-ऑर्डर ऑफ डिस्पैच का पालन करना होगा।"



2.23 बिंदु संख्या 7.2(झ) पर पैरा "विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम): समय अनुसूची से विचलन के लिए मौजूदा विनियमों के अनुसार डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। कुल आपूर्ति की गई विद्युत के आरई घटक के लिए आरई विनियमों के अनुसार डीएसएम लागू होगा और तापीय घटक के लिए तापीय विनियमनों के अनुसार डीएसएम लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम शुल्कों का समाधान आरटीसी विद्युत उत्पादक द्वारा किया जाएगा"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"विचलन समाधान तंत्र (डीएसएम): समय अनुसूची से विचलन के लिए मौजूदा विनियमों के अनुसार डीएसएम (विचलन समाधान तंत्र) लागू होगा। कुल आपूर्ति की गई विद्युत के आरई घटक के लिए आरई विनियमों के अनुसार डीएसएम लागू होगा और गैर-आरई घटक के लिए, गैर-अक्षय ऊर्जा संयंत्रों पर लागू विनियमनों के अनुसार डीएसएम लागू होगा। उत्पादक पर डीएसएम शुल्कों का समाधान आरटीसी विद्युत उत्पादक द्वारा किया जाएगा"

2.24 बिंदु संख्या 7.4.4.1 पर पैरा "प्रभावित पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को किसी अप्रत्याशित घटना की सूचना यथोचित व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द, परंतु जिस तिथि को उस पक्ष को अप्रत्याशित घटना शुरू होने का पता चला, उस तिथि के अधिकतम पंद्रह (15) दिनों भीतर भेजी जाएगी। यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था भंग होती है, जिससे लागू समय सीमा में नोटिस देना अव्यवहार्य हो जाता है, तो अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्ष संचार व्यवस्था की बहाली होने के बाद समुचित रूप से जल्द से जल्द नोटिस देगा, परंतु ऐसी बहाली होने से एक (1) दिन से अधिक की देरी से नहीं। जो पक्ष अप्रत्याशित घटना की सूचना प्राप्त करता है, वह आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के दावे पर निर्णय लेगा। उल्लेखनीय है कि आरई और तापीय भाग के लिए प्रभावित पक्षों द्वारा अप्रत्याशित घटना की अलग सूचना देनी होगी। अप्रत्याशित घटना की सूचना के परिणामस्वरूप एक भाग का दूसरे भाग पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि प्रभावित पक्ष द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किया जाता।"

**को निम्नानुसार पढ़ा जाए :**

"प्रभावित पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को किसी अप्रत्याशित घटना की सूचना यथोचित व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द, परंतु जिस तिथि को उस पक्ष को अप्रत्याशित घटना शुरू होने का पता चला, उस तिथि के अधिकतम पंद्रह (15) दिनों भीतर भेजी जाएगी। यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप संचार व्यवस्था भंग होती है, जिससे लागू समय सीमा में नोटिस देना अव्यवहार्य हो जाता है, तो अप्रत्याशित घटना का दावा करने वाला पक्ष संचार व्यवस्था की बहाली होने के बाद समुचित रूप से जल्द से जल्द नोटिस देगा, परंतु ऐसी बहाली होने से एक (1) दिन से अधिक की देरी से नहीं। जो पक्ष अप्रत्याशित घटना की सूचना प्राप्त करता है, वह आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना घटित होने के दावे पर निर्णय लेगा। उल्लेखनीय है कि आरई और अन्य स्रोतों से विद्युत घटकों के लिए प्रभावित पक्षों द्वारा अप्रत्याशित घटना की अलग सूचना देनी होगी। अप्रत्याशित घटना की सूचना के परिणामस्वरूप एक भाग का दूसरे भाग पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि प्रभावित पक्ष द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किया जाता।"

2.25 बिंदु संख्या 7.5 (क) पर पैरा "ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक बाध्यताओं में उत्पादन मुआवजा: संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधि हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण की अनुपलब्धता के कारण विद्युत का उपयोग नहीं हो पाता है जिसके लिए उत्पादक जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में खरीदार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे का निपटान किया जाएगा:

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा =  <i>((आरई टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) + (गैर-आरई फिक्स्ड चार्ज X अन्य स्रोतों से प्रस्तावित विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) ) X 1000 X ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टे</i>

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"ग्रिड अनुपलब्धता के कारण ऑफटेक बाध्यताओं में उत्पादन मुआवजा: संयंत्र के प्रचालन के दौरान, कुछ ऐसी अवधि हो सकती हैं जब संयंत्र विद्युत का उत्पादन तो कर सकता है, परंतु अस्थायी पारेषण की अनुपलब्धता के कारण विद्युत का उपयोग नहीं हो पाता है जिसके लिए उत्पादक जिम्मेवार नहीं होता। ऐसे मामलों में खरीदार द्वारा निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन मुआवजे का निपटान किया जाएगा:

ग्रिड अनुपलब्धता की अवधि	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
एक वर्ष के दौरान 175 घण्टों से अधिक की ग्रिड अनुपलब्धता, जैसा कि पीपीए में परिभाषित है।	उत्पादन मुआवजा =  <i>((कंपोजिट टैरिफ X प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) + (फिक्स्ड चार्ज X प्रस्तावित तापीय विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) ) X 1000 X ग्रिड अनुपलब्धता के घण्टे</i>

2.26 बिंदु संख्या 7.5(ख) पर पैरा "घटे हुए ऑफटेक के मामले में भुगतान:(i) उत्पादक और खरीदार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनिर्देशों के तहत पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीदार द्वारा "वितरण लाईसेंसधारियों द्वारा विद्युत खरीद करारके तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) शुरू करने और संचालित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के आदेश सं. 23/22/2019-आरएंडआर" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन की अनुपालना न होने के कारण विद्युत की आपूर्ति न होने सहित विद्युत ऑफटेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति और तापीय विद्युत के लिए निर्धारित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीदार से भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीके से घटे ऑफटेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। मुआवजे का दावा करने के लिए उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रूप में पावर एक्सचेंज में अपनी बिजली बेचनी चाहिए। इस प्रकार, मुआवजा घोषित क्षमता तक वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा जो अधिकतम अनुबंधित क्षमता और खरीदार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्येधीन होगा।

घटा हुआ ऑफटेक	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
	<p>उत्पादन मुआवजा =</p> <p>((कंपोजिट टैरिफ x प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट,) जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) + (गैर-आरई निर्धारित शुल्क x अन्य स्रोतों से प्रस्तावित तापीय विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) ) X 1000 X घटे हुए ऑफटेक के घण्टों की संख्या</p> <p>तथापि, उत्पादक द्वारा तीसरे पक्ष को बेची गई ऐसी विद्युत जो प्रस्तावित थी पर शिड्यूल नहीं हुई, उससे प्राप्त कोई धनराशि, यदि ऐसी बिक्री में कोई खर्च हुआ हो, तो उसकी कटौती के बाद, खरीदार से निम्नानुसार हिस्सेदारी की जाएगी, और मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे में समायोजित की जाएगी</p> <p>(क) आरई विद्युत के लिए: निवल वसूली का 90%</p> <p>(ख) तापीय विद्युत के लिए: परिवर्तनीय शुल्कों के ऊपर निवल वसूली का 50%</p>

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"घटे हुए ऑफटेक के मामले में भुगतान: उत्पादक और खरीदार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनिर्देशों के तहत पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयंत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीदार द्वारा "वितरण लाईसेंसधारियों द्वारा विद्युत खरीद करार के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) शुरु करने और संचालित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के आदेश सं. 23/22/2019-आरएंडआर" और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधनकी अनुपालना न होने के कारण विद्युत की आपूर्ति न होने सहित विद्युत ऑफटेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति और तापीय विद्युत के लिए निर्धारित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीदार से भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीके से घटे ऑफटेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। मुआवजे का दावा करने के लिए उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रूप में पावर एक्सचेंज में अपनी बिजली बेचनी चाहिए। इस प्रकार मुआवजा घोषित क्षमता तक वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा जो अधिकतम अनुबंधित क्षमता और खरीदार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

घटा हुआ ऑफटेक	उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान
	<p>उत्पादन मुआवजा =</p> <p>((आरई टैरिफ x प्रस्तावित आरई विद्युत (मेगावाट,) जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) + (निर्धारित शुल्क x प्रस्तावित तापीय विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा शिड्यूल नहीं) ) X 1000 X घटे हुए ऑफटेक के घण्टों की संख्या</p> <p>तथापि, उत्पादक द्वारा तीसरे पक्ष को बेची गई ऐसी विद्युत जो प्रस्तावित थी पर शिड्यूल नहीं हुई, उससे प्राप्त कोई धनराशि, यदि ऐसी बिक्री में कोई खर्च हुआ हो, तो उसकी कटौती के बाद, खरीदार से निम्नानुसार हिस्सेदारी की जाएगी, और मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे में समायोजित की जाएगी</p>

	<p>(ख) आरई विद्युत के लिए: आरई टैरिफ से ऊपर निवल वसूली का 90%</p> <p>(ख) तापीय विद्युत के लिए: गैर-आरई टैरिफ के परिवर्तनीय शुल्कों के ऊपर निवल वसूली का 50%</p>
--	---

2.27 बिंदु संख्या 8.2 पर पैरा "खरीदार उत्पादकों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार थर्मल विद्युत से परिपूरित अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए और आरटीसी अक्षय ऊर्जा विद्युत आपूर्ति हेतु आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।"

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"खरीदार उत्पादकों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार किसी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए और आरटीसी अक्षय ऊर्जा विद्युत आपूर्ति हेतु आरएफएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।"

2.28 बिंदु संख्या 9.2.2 (क) पर पैरा "वित्तीय मानदंड : निवल मूल्य(i) खरीदार आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्यमें वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेगा।यह विचार करते हुए कि उत्पादक अक्षय ऊर्जा (आरई) और अन्य स्रोतों से विद्युत दोनों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है, अतः अनुमानित आरई परियोजना लागत का कम से कम 30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत) निवल मूल्य आवश्यक होना चाहिए।"

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"निवल मूल्य (i) खरीदार आवश्यक योग्यता के भाग के रूप में निवल मूल्यमें वित्तीय मानदंड का उल्लेख करेगा।यह विचार करते हुए कि उत्पादक अक्षय ऊर्जा (आरई) और तापीय विद्युत दोनों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है, अतः अनुमानित आरई परियोजना लागत का कम से कम 30 प्रतिशत (तीस प्रतिशत) निवल मूल्य आवश्यक होना चाहिए।"

2.29 बिंदु संख्या 13.1 पर पैरा "आरटीसी विद्युत उत्पादक, पीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित समय के भीतर वित्तीय खाता बंदी करेगा:

(क) 500 मेगावाट तक के परियोजना आकार के लिए विद्युत खरीद करार के निष्पादन की तिथि से 12 (बारह) माह;

(ख) 500 मेगावाट से बड़ी परंतु 1000 मेगावाट तक की परियोजना के लिए विद्युत खरीद करार के निष्पादन की तिथि से 18 (अठारह) माह;

(ग) 1000 मेगावाट से बड़ी आकार की परियोजना के लिए विद्युत खरीद करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह; "

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"आरटीसी विद्युत उत्पादक, पीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित समय के भीतर वित्तीय खाता बंदी करेगा:

(क) 1000 मेगावाट से कम की परियोजना के लिए विद्युत खरीद करार के निष्पादन की तिथि से 18 (अठारह) माह;

(ख) 1000 मेगावाट से बड़ी आकार की परियोजना के लिए विद्युत खरीद करार के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह; "

2.30 बिंदु संख्या 15.3 पर पैरा "कमीशनिंग तथा आपूर्ति समय की शुरुआत:

(क) परियोजनाएं चालू की जाएंगी और वे विद्युत की आपूर्ति निम्नानुसार अवधि में शुरु की जाएंगी:

(i) 500 मेगावाट से कम परियोजना आकार के लिए पीपीए निष्पादन की तिथि से 18 (अठारह) माह;

- (ii) 500 मेगावाट से अधिक परंतु 1000 मेगावाट से कम की परियोजना के लिए पीपीए के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;
- (iii) 1000 मेगावाट से बड़े आकार की परियोजना के लिए पीपीए निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह; "

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"कमीशनिंग तथा आपूर्ति समय की शुरुआत:

(क) परियोजनाएं चालू की जाएंगी और वे विद्युत की आपूर्ति निम्नानुसार अवधि में शुरू की जाएंगी:

- (i) 1000 मेगावाट से कम की परियोजना के लिए पीपीए के निष्पादन की तिथि से 24 (चौबीस) माह;
- (ii) 1000 मेगावाट से बड़े आकार की परियोजना के लिए विद्युत क्रय करार निष्पादन की तिथि से 30 (तीस) माह; "

2.31 बिंदु संख्या 19 पर पैरा"

**दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन** - इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियाओं में मानकीकरण और एकरूपता लाना है ताकि खरीदारी में ईमानदारी और पारदर्शिता हो। इस तरह, इन दिशानिर्देशों का बोली प्रक्रिया में सख्ती से पालन किये जाने की आवश्यकता है और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित/संतुलित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से चौबीसो घण्टे विद्युत प्राप्त करने संबंधी किसी बोली को इन दिशानिर्देशों के विपरीत जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि खरीदार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। उपयुक्त आयोग, ऐसी याचिका दायर करने के 60 (साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा। "

को निम्नानुसार पढ़ा जाए :

**"19. दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया से विचलन**

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्रक्रियाओं में मानकीकरण और एकरूपता लाना है ताकि खरीदारी में ईमानदारी और पारदर्शिता हो। इस तरह, इन दिशानिर्देशों का बोली प्रक्रिया में सख्ती से पालन किये जाने की आवश्यकता है और विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत, किसी अन्य स्रोत से विद्युत से परिपूरित/संतुलित ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत परियोजनाओं से चौबीसो घण्टे विद्युत प्राप्त करने संबंधी किसी बोली को इन दिशानिर्देशों के विपरीत जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि खरीदार के लिए इन दिशानिर्देशों से/या एसबीडी से विचलन आवश्यक हो जाता है, तो यह बोली प्रक्रिया की शुरुआत होने से पूर्व ही उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा। उपयुक्त आयोग, ऐसी याचिका दायर करने के 60 (साठ) दिनों के यथोचित समय के भीतर बोली दस्तावेजों को अनुमोदित करेगा या उनमें संशोधन की जरूरत बताएगा।"

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 3<sup>rd</sup> November, 2020

**Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects**

**No. 23/05/2020-R&R.—1.0** The Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003

vide resolution No. 23/05/2020-R&R—published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1) on 22<sup>nd</sup> July, 2020.

**2.0** The following amendments are hereby made in the said guidelines of 22nd July, 2020 namely:-

**2.1** The Title “Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects.”

**May be read as under:**

“Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage.”

**2.2** The Para at point no 1.1.5 “The developments in renewable energy sector and the necessity to address the issues of intermittency, limited hours of supply and low capacity utilization of transmission infrastructure presents a case for “bundling”, wherein coal based thermal power is bundled with renewable energy, and provided round-the-clock to the distribution company (DISCOM). In other words, thermal power can be utilized to balance renewable energy and provide round the clock (RTC) power to the DISCOM thereby obviating the need for DISCOMs to balance power.”

**May be read as under:**

“The developments in renewable energy sector and the necessity to address the issues of intermittency, limited hours of supply and low capacity utilization of transmission infrastructure presents a case for “bundling”, wherein firm power from any other source or storage is bundled with renewable energy, and provided round-the-clock to the distribution company (DISCOM). In other words, firm power from thermal/hydro or other sources or storage can be utilized to balance renewable energy and provide round the clock (RTC) power to the DISCOM thereby obviating the need for DISCOMs to balance power.”

**2.3** The Para at point no.1.1.8 “ These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Round-The-Clock (RTC) power by DISCOMs from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, complemented/balanced with power from coal based thermal power projects, through tariff based competitive bidding process.”

**May be read as under**

“These Guidelines are being issued under section 63 of the Act to enable procurement of Round-The-Clock (RTC) power by DISCOMs from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, complemented/balanced with power from any other source, through tariff based competitive bidding process.”

**2.4** The Para at point no **1.2.1(a)** “To provide Round-The-Clock (RTC) power to the DISCOMs from renewable energy sources complemented/balanced with power from coal based thermal power;”

**May be read as under**

“ To provide Round-The-Clock (RTC) power to the DISCOMs from renewable energy sources complemented/balanced with firm power from any other source;”

**2.5** The Para at point no **2.1 “Applicability of Guidelines:** These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of electricity by the ‘Procurers’, on Round-The Clock (RTC) basis, from ISTS-connected Renewable (RE) Power Projects (**‘RE Projects’**), complemented/balanced with power from coal based ISTS-connected Thermal Power Projects (**‘Thermal Projects’**), through competitive bidding.”

**May be read as under**

**“2.1 Applicability of Guidelines:** These Guidelines are being issued under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 for long term procurement of electricity by the ‘Procurers’, on Round-The Clock (RTC) basis, from Renewable (RE) Power Projects (**‘RE Projects’**), complemented/balanced with firm power from any other source through competitive bidding.”

**2.6** The Para at point no 2.2 (c) **“‘Thermal Power’: (i)** The term ‘Thermal Power’, wherever used in these Guidelines, shall refer to power from coal based Thermal Power Generating Systems. Such generating systems shall include thermal power plants which are already, partly or fully, commissioned before the issuance of bids or are under construction at the time of issuance of bids, but have spare generation capacity that can be made available for long-term supply of RTC Power under these Guidelines.

(ii) Thermal Power plants based on both domestic and imported coal can participate, however, whether the fuel is domestic coal or imported coal, needs to be clearly stipulated beforehand in the (Request for Selection) RfS document.

(iii) The 'spare capacity', referred in clause 2.1.2(c)(i) above, is that capacity of a thermal power generating system that is unencumbered from any power supply commitments or power purchase agreements and is available for augmenting the proposed RE power under these Guidelines.

**May be read as under**

**'Firm Power from any other source':**

(i) The term 'Firm Power from any other source', wherever used in these Guidelines, shall refer to power from any Power Generating Systems other than Renewable Power. Such generating systems shall include power plants which are already, partly or fully, commissioned before the issuance of bids or are under construction at the time of issuance of bids, but have spare generation capacity that can be made available for long-term supply of RTC Power under these Guidelines.

(ii) The 'spare capacity', referred in clause 2.1.2(c)(i) above, is that capacity of a power generating system that is unencumbered from any power supply commitments or power purchase agreements and is available for augmenting the proposed RE power under these Guidelines."

2.7 Para at Point 2.2 (d) "RTC Power Generator' (RTC-PG):

(i). The term 'RTC Power Generator' (RTC-PG) or 'Generator', wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of RE Power complemented with Thermal Power, in Round-The-Clock manner.

(ii). The generator shall set-up generating system(s) for supply of RE Power. The generator shall also complement/ balance the RE Power through supply of thermal power from thermal generating system(s).

(iii). In order to ensure that the 'spare capacity' of thermal power has been tied up by the bidders, the bidders have to submit, at the time of bid submission, verifiable proof of such tie-up and the availability of spare capacity of thermal power, in the thermal power plant so tied up. Such proof shall be in the form of a Board Resolution, signed by the authorized representative of the Board of Directors of the company owning such thermal plant being proposed for tie-up, duly notarised on a Rs 100/- non-judicial stamp paper. Alternatively, the generator can form a consortium or joint venture with owners of the thermal power plant(s).

(iv). A thermal power generator cannot tie up with more than one bidder, for the same 'spare capacity'. Only when a bid has been concluded and the said spare thermal power capacity is not part of the successful bid, that such thermal capacity can be tied up for participation in other tenders. However, multiple spare capacities of the same thermal power plant can be tied up with different bidders in the same tender.

(v). An entity, for the purpose of participation in bids under these Guidelines, may tie up with multiple 'spare capacities' of different thermal power plants, and submit a single bid for the same, in a particular tender.

(vi). Irrespective of the contractual arrangement between the RE Power Generator and Thermal Power Generator, all the generator related liabilities, under these Guidelines and the PPA thereunder, shall be of the entity signing the PPA, and recognised as 'RTC Power Generator' (RTC-PG)."

**May be read as under**

**"RTC Power Generator' (RTC-PG):**

(i). The term 'RTC Power Generator' (RTC-PG) or 'Generator', wherever used in these Guidelines, shall refer to a generator and supplier of RE Power complemented with Power from any other source, in Round-The-Clock manner.

(ii). The Generator shall set-up generating system(s) for supply of RE Power. The Generator shall also complement/ balance the RE Power through supply of power from any other source but there can be only one Non RE fuel source. The source and quantum of tied up capacity from any other source cannot change during the PPA tenure.

(iii). In order to ensure that the 'spare capacity' of power from any other source has been tied up by the bidders, the bidders have to submit, at the time of bid submission, verifiable proof of such tie-up and the availability of spare capacity of power from any other source, in the power plant so tied up. Such proof shall be in the form of a Board Resolution, signed by the authorized representative of the Board of Directors of the company owning such plant being proposed for tie-up, duly notarised on a Rs 100/- non-judicial stamp paper. Alternatively, the generator can form a consortium or joint venture with owners of the power plant(s).

(iv). A power generator cannot tie up with more than one bidder, for the same 'spare capacity'. Only when a bid has been concluded and the said spare capacity is not part of the successful bid, that such capacity can be tied up for participation in other tenders. However, multiple spare capacities of the same power plant can be tied up with different bidders in the same tender.

(v). An entity, for the purpose of participation in bids under these Guidelines, may tie up with multiple 'spare capacities' of different power plants, and submit a single bid for the same, in a particular tender.

(vi). Irrespective of the contractual arrangement between the RE Power Generator and Power Generator from any other source, all the generator related liabilities, under these Guidelines and the PPA thereunder, shall be of the entity signing the PPA, and recognised as 'RTC Power Generator' (RTC-PG).

(vii) The coal based generator shall also be a party to the PPA as the case may be, so that domestic coal can be supplied to such power plants as per the extent policy.

2.8 The Para at point No.4.1 "The Generator shall supply despatchable RE Power complemented with Thermal Power, in Round-The-Clock manner, keeping at least 85% availability annually and also at least 85% availability during the peak hours. Peak hours will be four hours out of 24 hours and clearly specified by the Procurer before hand in the Bidding Documents."

**May be read as under:**

"The Generator shall supply despatchable RE Power complemented with power from any other source, in Round-The-Clock manner, keeping at least 85% availability annually and also at least 85% availability during the peak hours. Peak hours will be four hours out of 24 hours as declared by RLDCs as per the relevant CER Regulation.."

2.9 The Para at point no 4.2 "The Generator has to offer power such that at least 51% of the annual energy offered corresponds to RE Power, and the balance is offered from thermal sources."

**May be read as under**

"The Generator has to offer power such that at least 51% of the annual energy offered corresponds to RE Power, and the balance energy is offered from the other source."

2.10 The Para at point no 5.1 "A composite single tariff for renewable energy, complemented with thermal energy shall be quoted by the bidders (the "Composite Tariff")."

**May be read as under:**

"The quoted tariff shall comprise of four parts – Fixed component [RE power (fixed), non-RE power (fixed)] and Variable component [ Non -RE power (escalable for fuel), and non-RE power (escalable for transportation)] . The Fixed component of tariff of the RE power and Non RE power shall be quoted for each year of the term of PPA. The variable component of the Non RE power shall be quoted as on scheduled date of commissioning .The levelised tariff shall be arrived at using the CERC escalation indices for the type of fuel quoted by the bidder and the discount factor to be specified in the bidding document. The bidder shall also quote the proportion of energy from RE sources and non-RE source that he wishes to supply. The weighted average levelised tariff shall be arrived at for the term of PPA and proportion of energy from RE sources and Non RE power source."

2.11 The Para at point no 5.2 "The Composite Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU interconnection point. While different components of RTC power i.e. solar, wind and thermal can be connected with CTU/Inter State Transmission System (ISTS) at different CTU sub-stations, for better Grid balancing they shall be connected within the same RLDC area."

**May be read as under**

"The Tariff shall be quoted at the Delivery Point which shall be at the CTU interconnection point."

2.12 The Para at point no 5.3 "The cost of thermal power varies with the price of coal, operation and maintenance cost etc."

**May be read as under**

Deleted.

2.13 The Para at point no 5.4 "Thus, to accommodate such variations in cost in the entire energy mix, 25% of the Composite Tariff shall be indexed and adjusted, with the index of domestic coal or the imported coal, as the case may be, as notified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC) from time to time. This shall be clearly mentioned in RfS document by the Procurer."

**May be read as under**

"The escalable component of Non RE power, both for fuel and transportation, shall be adjusted as per the index notified by Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for payment purposes from time to time. This shall be clearly mentioned in RfS document by the Procurer."



2.14 Para 5.5 “After adjusting for indexation, the Renewable energy supplied shall be paid at indexed Composite Tariff based on the offered RE Power capacity. For Thermal component of power, 50% of the indexed Composite Tariff shall be deemed to be the Thermal Fixed Charge Tariff and 50% of the indexed Composite Tariff shall be deemed to be the Thermal Variable Charge Tariff. The Fixed Charge shall be paid based on the offered thermal capacity at Thermal Fixed Charge Tariff, (50% of indexed Composite tariff), whereas the Variable Charge shall be paid to the extent of thermal energy dispatched, at Thermal Variable Charge Tariff (50% of indexed Composite tariff).”

**May be read as under**

“The Renewable energy supplied shall be paid at the rate of RE (fixed) tariff applicable for that year as quoted by the successful bidder.

For Non RE power, the fixed component of Non RE power shall be paid based on the monthly available capacity from Non RE sources at the rate of non RE power fixed tariff quoted by the Bidder applicable for that year.

The variable component of Non RE power shall be paid for the energy supplied from other source of energy and shall be paid at the rate of variable component of non RE power (escalable for fuel), and variable component of non-RE power (escalable for transportation)] tariff applicable for that year after adjusting as per escalation index notified by CERC for payment purposes.”

2.15 Para at point no 6.2 “ A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 250 MW in order to have economies of scale and considering the suitability of coupling with ISTS. Since a bidder can tie up with more than one thermal plant for his RE Project, thermal capacities even much smaller than 250 MW can be utilized. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks but this should be clearly provided for beforehand in the Bidding documents.”

**May be read as under :**

“A bidder can quote for a part of the total quantum to be procured by the procurer. The minimum quantum of power that can be offered by the bidder should be 250 MW in order to have economies of scale. Notwithstanding this, on due consideration of availability of land and transmission facility, smaller minimum quantum of power that can be offered by a bidder can be kept in case of North-Eastern States, Special Category States and Projects outside RE Parks but this should be clearly provided for beforehand in the Bidding documents. ”

2.16 The Para at point No 6.4 “**Tariff as the Bidding Parameter:** The bidding parameter shall be the Composite Tariff for per unit supply of RTC power quoted by the bidder. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the first year Composite Tariff in Rs./kWh. The bidder shall be selected on the basis of least quoted ‘Composite Tariff’. The bidder (called the L1 bidder) quoting the least Composite Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. If the allocated quantum of power is less than the total quantum of power to be contracted, the remaining qualified bidders will be asked to match their Composite Tariff with the L1 tariff. The originally lowest bidder that agrees to match the L1 tariff shall be allocated the remaining quantum or the quantum offered by it, whichever is lower. If still some quantum is left, it will be allocated to the next originally lowest bidder and so on.”

**May be read as under**

“**Weighted Average Levelled Tariff as the Bidding Parameter:** The bidding evaluation parameter shall be the weighted average levelled tariff per unit supply of RTC power. The Procurer shall invite bids wherein the bidder shall quote the first year weighted average levelled tariff in Rs./kWh. The quoted tariff shall comprise of four part – Fixed component [RE power (fixed), non-RE power (fixed)] and Variable component [Non -RE power (escalable for fuel), and non-RE power (escalable for transportation)]. The Fixed component of tariff of the RE power and Non RE power shall be quoted for each year of the term of PPA. The variable component of the Non RE power shall be quoted as on scheduled date of commissioning .The levelled tariff shall be arrived at using the CERC escalation indices for the type of fuel quoted by the bidder and the discount factor to be specified in the bidding document. The bidder shall also quote the proportion of energy from RE sources and non-RE source that he wishes to supply. The weighted average levelled tariff per unit supply shall be arrived at for the term of PPA and proportion of energy from RE sources and Non RE source.

The bidder shall be selected on the basis of least quoted ‘weighted average levelled Tariff’. The bidder (called the L1 bidder) quoting the least weighted average levelled Tariff (called the L1 tariff) shall be allocated the quantum of power offered by him. If the allocated quantum of power is less than the total quantum of power to be contracted, the remaining qualified bidders will be asked to match their Tariff with the L1 tariff. The originally lowest bidder that agrees to match the L1 tariff shall be allocated the remaining quantum or the quantum offered by it, whichever is lower. If still some quantum is left, it will be allocated to the next originally lowest bidder and so on.

2.17 The Para at point No. 7.2 (a) “The procurement shall be in power (MW) terms. The Generator has to ensure at least 85% availability, both annually and also during the peak hours. Peak hours will be four hours out of 24 hours during either morning and/or evening to be clearly specified beforehand in the Bidding Documents by the Procurer. ”

**May be read as under:**

“The procurement shall be in power (MW) terms. The Generator has to ensure at least 85% availability, both annually and also during the peak hours. Peak hours will be four hours out of 24 hours as declared by RLDCs as per the relevant CERC regulation.”

2.18 The Para at point No 7.2 (b) “It is to be noted that the summation of generation schedule of RE Power and Thermal Power cannot be more than Contracted Capacity in any time block. However, the summation of capacities of thermal power plants supplying power to complement the RE power may be higher than the Contracted Capacity. Therefore, the Generator may apply and be granted Long Term Access (LTA) based on the project capacity of each component.”

**May be read as under**

“ It is to be noted that the summation of generation schedule of RE Power and Power from any other source cannot be more than the Contracted Capacity in any time block. Therefore, the Generator may apply for Long Term Access (LTA) accordingly.”

2.19 The Para at 7.2 (c) “ In order to allow optimization of operation of RE and Thermal Power Generating Systems, the Generator is allowed to supply power from the thermal power plant in excess of contracted capacity, to any third party or power exchange without requiring any No-Objection Certificate (NOC) from the Procurer. The Generator may also sell the power which was offered to procurer (within Contracted Capacity) but not scheduled by Procurer, to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer on day ahead basis.”

**May be read as under**

“In order to allow optimization of operation of RE and Non RE Power Generating Systems, the Generator is allowed to supply power from the Non RE power plant in excess of contracted capacity, to any third party or power exchange without requiring any No-Objection Certificate (NOC) from the Procurer. The Generator may also sell the power which was offered to procurer (within Contracted Capacity) but not scheduled by Procurer, to any third party or power exchange without requiring NOC from the Procurer on day ahead basis.”

2.20 The Para at 7.2 (d) “ In case the project availability is less than 85% on annual basis, or during the peak hours as defined above, for reasons attributable to RTC Power Generator, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, penalty for such shortfall in availability. The amount of such penalty will be 25% (twenty-five per cent) of the cost of this shortfall in energy terms, calculated at the maximum indexed composite tariff payable during the year.”

**May be read as under**

“ In case the project availability is less than 85% on annual basis, or during the peak hours as defined above, for reasons attributable to RTC Power Generator, the Generator shall be liable to pay to the Procurer, penalty for such shortfall in availability. The amount of such penalty will be 400% ( four hundred per cent) of the cost of this shortfall in energy terms, calculated at the applicable tariff payable during the year.

2.21 The Para at 7.2 ( e) “ Further, the Generator shall also be liable for penalty for any shortfall in offering RE power below the mandatory 51% of the total power offered in a contract year, for reasons solely attributable to Generator. The penalty corresponding to this shortfall in RE power shall be calculated at 25% of the maximum indexed composite tariff payable during the year for each unit of shortfall.”

**May be read as under**

“ Further, the Generator shall also be liable for penalty for any shortfall in offering energy from RE sources out of total energy in a contract year below the proportion of energy from RE sources, quoted at the time of bidding, for reasons solely attributable to Generator. The penalty corresponding to this shortfall in RE power shall be calculated at 400% (four hundred per cent) of applicable tariff payable during the year for each unit of shortfall.”

2.22 The Para at point No 7.2 (h) “Total generation from the RE sources shall follow “Must run” and generation from Thermal sources would follow the Merit-Order of dispatch, based on its indexed Variable Charges.”

**May be read as under**

“Total generation from the RE sources shall follow “Must run” as per the provisions of the Indian Electricity Grid Code and generation from any other source would follow the Merit-Order of dispatch, based on its indexed Variable Charges.”

2.23 The Para at point no 7.2 (i) “Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. For RE component of the total power supplied, DSM as per RE regulations shall be applicable, and for thermal component, the DSM as per regulations applicable to thermal power plants shall be applicable. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the RTC power generator.

**May be read as under**

“Deviation Settlement Mechanism (DSM): For deviations from schedule, the DSM (Deviation Settlement Mechanism) shall be applicable as per the prevailing regulations. For RE component of the total power supplied, DSM as per RE regulations shall be applicable, and for non RE component, the DSM as per regulations applicable to non RE power plants shall be applicable. The DSM charges at the generator ends shall be settled by the RTC power generator.”

2.24 The Para at point no 7.4.4.1 “ The Affected Party shall give notice to the other Party of any event of Force Majeure as soon as reasonably practicable, but not later than fifteen (15) days after the date on which such Party knew or should reasonably have known of the commencement of the event of Force Majeure. If an event of Force Majeure results in a breakdown of communications rendering it unreasonable to give notice within the applicable time limit specified herein, then the Party claiming Force Majeure shall give such notice as soon as reasonably practicable after reinstatement of communications, but not later than one (1) day after such reinstatement. The Party who receives the Force Majeure Notification, shall take a decision on the claim of occurrence of Force Majeure Event, within 30 days of the receipt of the intimation supported with necessary documentary evidence. It is to be noted that there shall have to be separate Force Majeure notice to be given by the Affected Party for RE and Thermal components. Consequence of Force Majeure notice of one part shall not have any consequence on the other part unless specified specifically by the Affected Party.”

**May be read as under :**

“ The Affected Party shall give notice to the other Party of any event of Force Majeure as soon as reasonably practicable, but not later than fifteen (15) days after the date on which such Party knew or should reasonably have known of the commencement of the event of Force Majeure. If an event of Force Majeure results in a breakdown of communications rendering it unreasonable to give notice within the applicable time limit specified herein, then the Party claiming Force Majeure shall give such notice as soon as reasonably practicable after reinstatement of communications, but not later than one (1) day after such reinstatement. The Party who receives the Force Majeure Notification, shall take a decision on the claim of occurrence of Force Majeure Event, within 30 days of the receipt of the intimation supported with necessary documentary evidence. It is to be noted that there shall have to be separate Force Majeure notice to be given by the Affected Party for RE and power from other sources components. Consequence of Force Majeure notice of one part shall not have any consequence on the other part unless specified specifically by the Affected Party.”

2.25 The Para at point no 7.5 (a) “Generation Compensation in off take constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:

Duration of Grid unavailability	Provision for Generation Compensation
Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = (( Composite Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Fixed Charge x Thermal power (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of grid unavailability

**May be read as under**

“Generation Compensation in off take constraints due to Grid Unavailability: During the operation of the plant, there can be some periods where the plant can generate power but due to temporary transmission unavailability the power is not evacuated, for reasons not attributable to the Generator. In such cases the generation compensation shall be addressed by the Procurer in following manner:

Duration of Grid unavailability	Provision for Generation Compensation
Grid unavailability beyond 175 hours in a year, as defined in the PPA	Generation Compensation = ((RE Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Non RE Fixed Charge x power from other source (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of grid unavailability

2.26 The Para at point no 7.5 (b) “**Payment in case of reduced off take:** (i) The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Order No. 23/22/2019-R&R dated 28.06.2019 of Ministry of Power regarding Opening and maintaining of adequate Letter of Credit (LC) as Payment Security Mechanism under Power Purchase Agreements by Distribution Licensees” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of ‘must run’ status for RE Power, and the Fixed charges for thermal power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner. For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

Reduced off take	Provision for Generation Compensation
	<p>Generation Compensation = (( Composite Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Fixed Charge x Thermal power (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of Reduced Off take However, any amount realized by the Generator, by third party sale of such power which was offered but not scheduled, shall be shared with the Procurer in the following manner, after deducting expenses, if any, in such sale, and shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.</p> <p>(a) <b>For RE Power:</b> 90% of Net realization</p> <p>(b) <b>For Thermal Power :</b> 50% of Net realization above variable Charges</p>

#### May be read as under

“**Payment in case of reduced off take:**The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with “Order No. 23/22/2019-R&R dated 28.06.2019 of Ministry of Power regarding Opening and maintaining of adequate Letter of Credit (LC) as Payment Security Mechanism under Power Purchase Agreements by Distribution Licensees” and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of ‘must run’ status for RE Power, and the Fixed charges for thermal power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner. For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

Reduced off take	Provision for Generation Compensation
	<p>Generation Compensation = (( RE Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Non RE Fixed Charge x power from other source (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of Reduced Off take.</p> <p>However, any amount realized by the Generator, by third party sale of such power which was offered but not scheduled, shall be shared with the Procurer in the</p>

	<p>following manner, after deducting expenses, if any, in such sale, and shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.</p> <p>(a) <b>For RE Power:</b> 90% of Net realization above RE Tariff</p> <p>(b) <b>For Non RE Power :</b> 50% of Net realization above variable Charges of Non RE Tariff</p>
--	--

2.27 The Para at point no 8.2 “The Procurer shall invite the Generators to participate in the RfS for installation of RE Power Plants and supply of RTC RE Power, complemented with Thermal Power, in terms of these Guidelines.”

**May be read as under**

“The Procurer shall invite the Generators to participate in the RfS for installation of RE Power Plants and supply of RTC RE Power, complemented with Power from any other source, in terms of these Guidelines.”

2.28 Para at point no 9.2.2 (a) Financial Criteria: “ Net-worth: (i). The Procurer shall specify financial criteria in the form of net-worth as a part of the qualification requirement. Considering that the Generator is responsible for supply of both RE and Thermal Power , the net-worth requirement should be at least 30% (thirty per cent) of the estimated RE project cost.”

**May be read as under :**

“ Net-worth: (i). The Procurer shall specify financial criteria in the form of net-worth as a part of the qualification requirement. Considering that the Generator is responsible for supply of both RE and Power from other sources, the net-worth requirement should be at least 30% (thirty per cent) of the estimated RE project cost.

2.29 The Para at point no 13.1 “RTC Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within:

- (a). 12 (twelve) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size not more than 500 MW;
- (b). 18 (eighteen) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 500 MW but not more than 1000 MW;
- (c). 24 (twenty four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1000 MW;”

**May be read as under**

“RTC Power Generator shall attain the financial closure in terms of the PPA, within:

- (a). **18 (eighteen)** months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size not more than 1000 MW;
- (b). **24 (twenty four)** months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1000 MW;”

2.30 The Para at point no 15.3 “**Commissioning and Commencement of Supply Schedule:**

- (a). The projects shall be commissioned and commence supply of power, within a period of :
  - (i). 18 (eighteen) months from the date of execution of the PPA, for project size not more than 500 MW;
  - (ii). 24 (twenty four) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 500 MW but not more than 1000 MW;
  - (iii). 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1000 MW.”

**May be read as under**

“**Commissioning and Commencement of Supply Schedule:**

- (a). The projects shall be commissioned and commence supply of power, within a period of :
  - (i). 24 (twenty four) months from the date of execution of the PPA, for project size not more than 1000 MW;

(ii). 30 (thirty) months from the date of execution of the Power Purchase Agreement, for project size more than 1000 MW.”

**2.31 The Para at point No. 19 “DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES** - The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Round-The-Clock (RTC) power from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, complemented/balanced with power from coal based thermal power projects, shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission, before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition.”

**May be read as under:**

**“19. DEVIATION FROM PROCESS DEFINED IN THE GUIDELINES**

The objective of these Guidelines is to bring standardization & uniformity in processes so that there is fairness & transparency in procurement. As such, these Guidelines need to be strictly followed in the bidding process and no bid, under section 63 of the Electricity Act, for procurement of Round-The-Clock (RTC) power from grid-connected Renewable Energy (RE) power projects, complemented/balanced with power from any other source, shall be issued in contravention to these Guidelines. However, in case it becomes imperative for the Procurer to deviate from these Guidelines and/or the SBDs, the same shall be subject to approval by the Appropriate Commission, before the initiation of bidding process itself. The Appropriate Commission shall approve or require modification to the bid documents within a reasonable time not exceeding 60 (sixty) days of filing such petition.”

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.